न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 16 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 119

अनवान

1. नैनाराम पुत्र जैरुपाराम जाति जाट निवासी जाटो का गोलिया, हाल कोला रेबारियो की ढ़ाणी, तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी.....

1. गजाराम पुत्र धूंखाराम।
2. गोरधन पुत्र किस्तूराराम।
3. दरियादेवी पत्नी वोहताराम।
4. सरोज पत्नी हरजीराम।
5. हुआदेवी पत्नी जबराराम।
6. हरजी पुत्र किस्तूराराम जातियान पुरोहित निवासीगण कोला रेबारियों की ढ़ाणी, तहसील सांचौर जिला जालोर।
7. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा सांचौर
8. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 26.06.2025

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल पालड़िया, प्रकाश पालड़िया उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 से 4, 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीपाल दवे, राहुल कुमार, अर्जुनसिंह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 व 7 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–20.02.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा कोला रेबारियों की ढाणी, तहसील सांचौर, जिला जालोर में खसरा नं. 10 रकबा 0.5000 हे. एवं खसरा नं. 11 / 1836 रकबा 0.1500 हे., कुल 0.6500 हे. स्थित है, जहाँ उसकी ढाणी व आवास है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में स्वर्गीय पिता जैरूपा पुत्र प्रभु के नाम दर्ज थी। लगभग 15 वर्ष पूर्व उनके देहांत के पश्चात प्रार्थी प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में उत्तराधिकारी बना तथा तब से निरंतर शांतिपूर्वक कब्जे में है। गिरदावरी प्रार्थी के नाम दर्ज होती रही है एवं लगान भी नियमित रूप से अदा किया जाता रहा है। प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता

सांचौर (जालोर)

अप्रार्थीगण 01 से 06 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 11 (रकबा 1.5700 हे.) के पश्चिमी सिरे से होकर 15 फीट चौड़ा व 40 मीटर लंबा मार्ग है, जो मुख्य सड़क से जुड़ता है। इस मार्ग का उपयोग प्रार्थी पीढ़ियों से आवागमन हेतु करता आ रहा है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 251(क) राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955 के अंतर्गत निवेदन है कि उक्त 15 फीट चौड़े व 40 मीटर लंबे रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण 01 से 06 की खातेदारी से काटकर राजहक में लेकर राजस्व अभिलेखों में गैरमुमकिन कटाणी सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाए। प्रार्थी विधि अनुसार मुआवजा देने को तैयार है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीपाल दवे, राहुल कुमार, अर्जुनसिंह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 व 7 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि मौजा कोला रेबारियों की ढाणी, तहसील सांचौर, जिला जालोर में खसरा नं. 10 (0.5000 हे.) एवं 11/1836 (0.1500 हे.), कुल 0.6500 हे. स्थित है, जहाँ उसकी ढाणी है। भूमि पूर्व में स्वर्गीय पिता जैरूपा के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद प्रार्थी प्रथम श्रेणी वारिस के रूप में कब्जे में है तथा गिरदावरी व लगान नियमित उसके नाम से है। प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग अप्रार्थीगण 01 से 06 की भूमि खसरा नं. 11 (1.5700 हे.) के पश्चिमी सिरे से होकर 15 फीट चौड़ा व 40 मीटर लंबा है, जो मुख्य सड़क से जुड़ता है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 251(क) राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955 के अंतर्गत निवेदन है कि उक्त मार्ग की भूमि राजहक में लेकर राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन कटाणी सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाए। प्रार्थी विधि अनुसार मुआवजा देने को तैयार है।

5. अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में किसी प्रकार की कोई आप्पति नहीं की गई।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :—

251'क' :— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है किः–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 11/1836 रकबा 0.15 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2025/4766 दिनांक 13.11.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट एव भू अभिलेख निरीक्षण बिजरोल की मौका फर्द दिनांक 10.11.2025 अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा कोला रेबारियों की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 11/1836 में आवागमन हेतु मांगा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता वाला है। उक्त रास्ता निकटतम एवं सुविधाजनक है एवं किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण एवं इमारती वृक्ष नहीं है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 11/1836 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 11 में से 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 11/1836 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 11 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव भू अभिलेख निरीक्षक गोलासन की जांच रिपोर्ट अनुसार 50 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा कोला रेबारियों की ढ़ाणी पटवार हल्का चौरा के खसरा नंबर 11/1836 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 11 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव मौका फर्द अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— **आदेश** :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 **ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 11 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर